

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-मा/माध्य/अ-4/क्रमोन्नति/राजमावि/2017-18

दिनांक : 27.07.18

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक शिक्षा-प्रथम/द्वितीय

विषय: नव क्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9वीं एवं 11वीं के साथ-साथ क्रमशः कक्षा 10वीं एवं 12वीं संचालित करने के संबंध में।

प्रसंग: शासन का पत्रांक- प0 11(01) शिक्षा-1/2014-15, जयपुर, दिनांक 26.07.2018

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राज्य सरकार के प्रासंगिक स्वीकृति आदेश क्रमांक : प011(1) शिक्षा-1/2014-15, जयपुर, दिनांक : 26.07.2018 की पालना में वर्ष 2018-19 में नव क्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9वीं एवं 11वीं के साथ-साथ क्रमशः कक्षा 10वीं एवं 12वीं संचालित करने की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

शेष शर्तें यथावत रहेंगी।



(नथमल डिडेल)

आई.ए.एस.


निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार)।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
5. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग को उनके प्रासंगिक पत्र के क्रम में।
6. राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, जयपुर
7. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
8. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर
9. वित्तीय सलाहकार/संयुक्त निदेशक (कार्मिक)/उप निदेशक (योजना/सांख्यिकी) कार्यालय हाजा।
10. समस्त उप निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा विभाग को प्रभावी प्रबोधन हेतु।
11. अनुभाग अधिकारी संस्थापन-एबी/संस्थापन-सी/संस्थापन-एफ/बजट/कम्प्यूटर/आदर्श वि./शाला दर्पण
12. माध्यमिक अनुभाग के प्रभाग अ-1



उप निदेशक (माध्यमिक)

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

राजस्थान सरकार
शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक प.11(01) शिक्षा-1/2014-15

जयपुर, दिनांक :- 26.7.18

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर।

विषय:- नव क्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9वीं एवं 11वीं के साथ-साथ क्रमशः कक्षा 10वीं एवं 12वीं संचालित करने के संबंध में।

सन्दर्भ:- आपके अ.शा.पत्रांक: शिविरा-माध्य / अ-4 / क्रमोन्नति / राउमावि / 2017-18 / दिनांक 10.07.2018

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र द्वारा प्राप्त प्रस्तावानुसार वर्ष 2018-19 में नव क्रमोन्नत राजकीय माध्यमिक एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9वीं एवं 11वीं के साथ-साथ क्रमशः कक्षा 10वीं एवं 12वीं संचालित करने के संबंध में सहमति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

शेष शर्तें यथावत रहेगी।

भवदीय
26.7.18
(कमलेश आबूसरिया)
शासन उप सचिव-प्रथम

प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
2. विशिष्ट सहायक माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय (स्वतंत्र प्रभार)
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग।
6. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
7. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर।
8. वित्तीय सलाहकार, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
9. उपनिदेशक, योजना, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
10. उपनिदेशक, सां0 शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग एवं शिक्षा (ग्रुप-2,5,6) विभाग।
11. प्रभारी, शाला दर्पण को भेजकर लेख है कि उक्त आदेशानुसार सूचना शाला दर्पण पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
12. रक्षित पत्रावली।


(बी.के.गुप्ता)
विशेषाधिकारी-शिक्षा